

प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 07.10.2026

थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा 10.096 किग्रा अवैध गांजा के साथ एक अंतर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.10.2026 को थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 10.096 किग्रा अवैध गांजा और नकदी बरामद हुई। इस संबंध में थाना ज्ञानपुर पर मु0अ0स0 258/2026 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- अख्तर उर्फ पप्पू पुत्र जलील अहमद उर्फ जल्लू, मूल पता बहुता नेवादा थाना कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़, वर्तमान पता शादीगंज जायसवाल नगर मछलीशहर जनपद जौनपुर (उम्र- 55 वर्ष)।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अख्तर उर्फ पप्पू पुत्र जलील अहमद के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कुल 32 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण:-

- 10.096 किग्रा अवैध गांजा (प्लास्टिक की बोरी व झोले में सुरक्षित)।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अन्य जनपदों से कम दामों पर अवैध गांजा खरीदकर लाता है और उसे ज्ञानपुर व भदोही के आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेचता है। इस अवैध व्यापार से होने वाले मुनाफे के पैसे से वह अपनी आर्थिक व भौतिक सुख-सुविधाएं जुटाता है और ऐशो-आराम की जिंदगी व्यतीत करता है। आज भी वह गांजे की इस खेप को बेचने के उद्देश्य से किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

नि० रामसरीख गौतम (प्रभारी निरीक्षक), उ०नि० प्रमोद सिंह यादव (चौकी प्रभारी कस्बा ज्ञानपुर), हे०का० अजय यादव, का० प्रदीप कुमार और का० अंजनी कुमार पाण्डेय थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।